24-10-96

नगर-पालिका परिषद जौनपुर की बैठक दिनांक 24-10-96 दिन - (बृहस्पतिवार) अपरान्ह 4.00 बजे टाउनहाल में हुयी, में उपस्थित माननीय सभासद के नाम निम्न प्रकार है —

1.	श्रीमती सन्ध्यारानी श्रीवास्तव	अध्यक्ष,
2	" दलजीत	सदस्य
3	श्री जगदीशकुमार सोनकर	"
4	" संजयकुमार मौर्य	"
5	श्रीमती दयावन्ती देवी	"
6	श्री श्यामबिहारी सेठ	"
7	श्रीमती चम्पा देवी चौरसिया	"
8	श्री राजेशकुमार यादव	"
9	" ज्यारत हुसैन	"
10	" कल्लू यादव	"
11	श्रीमती महरुन्निशा	"
12	श्री गुलालचन्द्र	"
13	" अतुलकुमार सिंह 'मुन्ना'	"
14	श्रीमती निर्मला देवी	"
15.	श्री वकील अहमद मंसूरी	"
16	कु० कुशरा खातून	"
17	श्री मो० जावेद खाँ	"
18	श्रीमती मीरा देवी	"
19	श्री प्रमोदकुमार गुप्त	"
20	श्री गुलाबचन्द्र शाह	"
21	" अफजाल अहमद	विधानसभा सदस्य/पदेन सदस्य
22	" रमजान खाँ	सदस्य

(विजय कुमार)
अधिशासी-अधिकारी,
नगर-पालिका परिषद
जौनपुर

सन्ध्यारानी श्रीवास्तव
(सन्ध्यारानी श्रीवास्तव)
अध्यक्ष,
नगर-पालिका परिषद
जौनपुर

बोर्ड की बैठक शुरू करने के पूर्व माननीया अध्यक्ष श्रीमती चन्द्रकान्ती श्रीवास्तव ने सदन में उपस्थित माननीय सभासदों का स्वागत एवं अभिनन्दन करते हुये बैठक की कार्यवाही शुरू करने हेतु अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिया - तदोपरान्त कार्यवाही शुरू हुयी।

	प्रस्ताव	निर्णय
1.	बोर्ड की पिछली बैठक दिनांक 21-8-96 की कार्यवाही वास्ते पुष्टि	पिछली कार्यवाही पढ़ी गयी। पुष्टि करते हुए स्वीकार किया गया।
2.	जलकल समिति की बैठक दिनांक 9-7-96 के प्रस्ताव संख्या 1 द्वारा नगर के अवैध जल संयोजनों को नियमित करने हेतु उक्त समिति के निर्णयानुसार 500/- (पांच सौ) एवं जब से कनेक्शन हुआ है, उस तिथि से 10/- प्रति माह व अन्य खर्चे जमा कराकर जल संयोजन नियमित कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि 500/- के स्थान पर रु-350/- (तीन सौ पचास) रखा जाय, शेष प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
3.	जलकल समिति की बैठक दिनांक 9.7.96 के प्रस्ताव सं० 2 के अन्तर्गत नगरीय सीमा में अधिकांशतः जल संयोजन पर लगे वाटर मीटर बन्द है, वर्तमान में जो मीटर लगाया जा रहा है, वे भी बन्द हैं एवं बन्द मीटरों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। अतः बिना मीटर जल संयोजन दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव, घरेलू जल संयोजन हेतु 50/- पचास रुपया प्रति माह एवं गैर घरेलू जल संयोजन पर 75/- पचहत्तर रुपया प्रति माह तथा औद्योगिक जल संयोजन हेतु 125/- एक सौ पच्चीस रुपया प्रति माह - प्रस्तावित किया गया है, बोर्ड के समक्ष स्वीकृतार्थ।	प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 50/- के स्थान पर 30/- तीस रुपया, 75/- के स्थान पर 60/- साठ रुपया एवं 125/- के स्थान पर 150/- एक सौ पचास रुपया रखा जाय, जो स्वीकार किया गया।

24-10-96

प्रस्ताव :- / **निर्णय**

4\. मो० गड्डी नसीम खाँ, गांधी पार्क के सामने खाली भूमि जहाँ स्थानीय लोगों द्वारा प्रायः अतिक्रमण कर लिया जाता है, हटवाने में विभाग को परेशानी का सामना करना पड़ता है, उक्त भूमि पर मानचित्र तैयार कर दुकानों का निर्माण कराकर नीलामी बोली द्वारा किराये पर निस्तारित करने पर विभाग को आर्थिक लाभ होगा एवं अतिक्रमण से भूमि को बचाया जा सकेगा, परिषद अनुमोदनार्थ।

निर्णय: प्रस्ताव बोर्ड के हित में उचित मानते हुए सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। साथ ही यह सुझाव दिया गया कि दुकान को शटर के साथ प्रथम तल का भी मानचित्र स्वीकृत करा लिया जाय।

5- राजस्व विभागीय आख्या कि टैक्सी/बस स्टैण्ड पड़ाव के गतवर्ष की नीलामी के बकाया की वसूली हेतु सम्बन्धित ठेकेदारों को बराबर नोटिसें दी जा रही हैं एवं कर संग्रहिताओं एवं राजस्व अधीक्षक द्वारा बार-बार बकाये की माँग किये जाने पर नीलामी की धनराशि नहीं मिल पा रही है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	पड़ाव का नाम	बोली	जमा धन	बकाया	समय समाप्ति की तिथि
1.	वाराणसी रोड	1,44,000/-	81,000/-	63,000/-	21-10-96
2-	बदलापुर रोड	1,66,224/-	30,000/-	1,36,224/-	21-10-96
3-	इलाहाबाद रोड	1,40,020/-	89,000/-	51,020/-	21-10-96
4-	मिर्जापुर रोड	1,05,151/-	1,03,075/-	2,076/-	1-9-96 से विभागीय वसूली कराई जा रही है।
5.	आजमगढ़ रोड	2,42,000/-	1,50,500/-	91,500/-	24-2-97

उपरोक्त को यदि पुनः बिना बकाया जमा कराये नीलामी कराई जाती है तो निश्चित ही टैक्सी/बस स्टैण्ड का बकाया बढ़ता जायेगा और लोग दूसरे नाम से बोली में भाग

निर्णय: प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि बदलापुर पड़ाव के ठेकेदार, जिन्हें एक वर्ष में दो माह बीच में ब्रेक कर दिया गया था, उनका अगले दो माह के लिये भी बकाया धनराशि का 50% जमा करा कर अवधि विस्तार करने का प्रस्ताव माननीय सभासद श्री जगदीश कुमार सोनकर द्वारा रखा गया इसी क्रम में माननीय सभासद सर्व श्री श्याम बिहारी सेठ, श्री ज्यात दुबेम, श्री वकील अहमद मंसूरी, श्री अतुल कुमार सिंह "मुन्ना" ने कहा कि 50% अधिक होगा, अतएव उक्त बकाये का कुछ धन जमा कराकर अगले दो माह के लिये समय विस्तार कर दिया जाय जिस पर सहमति पाई गयी। आगे श्री जगदीश कुमार सोनकर ने कहा कि

प्रस्ताव

ठेकेदार जानबूझ धनराशि को जमा नहीं करते, जैसा कि विगत नीलामी में देखने को मिला है, जिससे निगम को हानि होने की सम्भावना है, अतः तमाम को ध्यान में रखते हुए परिषद समक्ष उक्त प्रकरण पर निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में आला परिषद के समक्ष विचारार्थ।

निर्णय

आजमगढ़ पड़ाव के ठेके, कार्यकाल 25-2-97 तक के दिये हैं तथा शेष पड़ाव, वाराणसी रोड, इलाहाबाद रोड, मिर्ज़ापुर रोड, जिनका समय समाप्त हो गया है, और उनकी नियमानुसार वसूली कराई जा रही है, अधिक अच्छा होगा कि दिसम्बर 96 के अंतिम सप्ताह में सभी उक्त पड़ाव के ठेके एक साल इस शर्त के साथ नीलाम कराये जांय कि जमानत की धनराशि नगद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा 50,000/- पचास हजार जमा कराये जांय तथा उच्चतम बोली आने पर उच्चतम बोली की सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त बोलीदाता से जमा कराकर उन्हें वसूली हेतु अधिकार पत्र दिये जांय, इससे बकाया कदापि नहीं रहेगा, अतएव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से — x

[signature]	सत्यप्रकाश श्रीवास्तव [signature]
(विजयकुमार)	(सत्यप्रकाश श्रीवास्तव)
अधिशासी-अधिकारी,	अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद	नगर पालिका परिषद
जौनपुर	जौनपुर
25-10-96	25-10-96

24-10-96

विशेष प्रस्ताव	निर्णय
1. नगर पालिका परिषद जौनपुर के कर-अधीक्षक की आख्या बावत कर निर्धारण, जो प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, जो गतवर्ष 77-78 में हुआ था, तब से अब तक पालिका में कर निर्धारण न होने की दशा में पालिका की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही है, को दृष्टिगत रखते हुए यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1916 की धारा 141(2) एवं 145(1) में घोषित प्राविधानुसार नगर-पालिका परिषद जौनपुर की सीमा में स्थित भवनों पर कर निर्धारण करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने की स्वीकृति परिषद अनुमोदन हेतु।	प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। पंचवर्षीय कर निर्धारण की कार्यवाही शुरू की जाय।

(विजयकुमार)
अधिशासी-अधिकारी
नगर-पालिका परिषद
जौनपुर
24-10-96

सत्यपाली श्रीवास्तव
(सत्यपाली श्रीवास्तव)
अध्यक्ष,
नगर-पालिका परिषद
जौनपुर
24-10-96

पूरक प्रस्ताव	निर्णय
1 मो० तालपुरा - नईगंजा मार्ग पर स्थित ट्यूबवेल के पूरब वाली पालिका भूमि जहाँ जलनिगम द्वारा पाईप इत्यादि रखकर उपयोग किया जा रहा है, किन्तु निगम को कोई किराया नहीं दिया जाता, उक्त भूमि को स्थानीयकार जनहित में एवं पालिका हित में योजना तैयार कर क्रियान्वित करने हेतु परिषद समक्ष अनुमोदनार्थ।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

चर्चाकाल :-

सदन में पिछली कार्यवाही की पुष्टि हेतु कार्यवाही पढ़ी जा रही थी कि इसी बीच सदन में नगर के विधायक माननीय श्री अफजाल अहमद का आगमन हुआ, जिनका माननीया अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वागत एवं अभिनन्दन करते हुए मान्य सभासद को नगर विधायक जी का परिचय कराया गया, तदोपरान्त मान्य सभासद श्री जगदीशकुमार सोनकर ने सदन में आये माननीय नगर विधायक श्री अफजाल अहमद का अपनी ओर से तथा मान्य सभासदगण की ओर से स्वागत एवं अभिनन्दन किया तथा हर्ष ध्वनि से तालियाँ बजाते हुए मान्य सभासद व सदन में उपस्थित अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा स्वागत किया गया, तदोपरान्त सदन की कार्यवाही आगे शुरु की गयी।

प्रस्ताव सं० 4 के सम्बन्ध में विचार विमर्श के दौरान भगत सिंह पार्क के बगल में प्रस्तावित दुकानों के निर्माण हेतु मान्य-सभासद श्री जगदीशकुमार सोनकर ने नगर विधायक जी से निवेदन किया कि माननीय विधायक जी कृपया विधायक निधि से अथवा शासन स्तर से जनहितकारी कार्यों हेतु पालिका को धन देकर सहयोग करने का कष्ट करें, इस पर माननीय नगर विधायक ने सदन में उपस्थित माननीया अध्यक्ष, अधिकारी-गण, कर्मचारीगण एवं तमाम मान्य सभासद व जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि जनता ने जो हमें सहयोग, स्नेह, प्यार दिया है, उसके हम आभारी हैं, उन्होंने यह भी कहा कि सदन के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जनहित को देखते हुए जो भी पैसा मुझे ~~विधायक~~ विधायक कोटे से मिलेगा, उसे मैं नगर के 26 वार्डों में पेयजल सुलभ कराने हेतु व अन्य आवश्यक जनहितकारी कार्यों के लिये इस पालिका को पैसा दूँगा और शासन से भी धन दिलाने का भी प्रयास करूँगा। इस पर माननीया अध्यक्षा

ने नगर विधायक जी का आभार व्यक्त किया गया तथा राजकीय अधीक्षक श्री ओमप्रकाश ने कहा कि हम सभी नगर विधायक जी के आभारी हैं और अधिक से अधिक धन दिलाये जाने हेतु निवेदन कर रही हूँ और आशा भी करती हूँ।

अन्त में मा० अध्यक्ष ने बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही शान्ति एवं धैर्य पूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न होने पर सभी माननीय सभासदों को धन्यवाद दिया

(विजयकुमार)
अधिशासी-अधिकारी
नगर-पालिका परिषद
जौनपुर
24-10-16

(सन्ध्यारानी श्रीवास्तव)
अध्यक्ष,
नगर-पालिका परिषद
जौनपुर
24-10-16